

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मर्ली

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी को न्यायमूर्तरिति बाहरी ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

मुख्य बटु:

- उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टनेट जनरल गुरुमीत सहि ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दलाई।
 - उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नयुक्तसे पहले, न्यायमूर्तबहरी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरयाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कया।
- वह नागरक, संवैधानक, कराधान, श्रम और सेवा मामलों में वशिषज्ज हैं।
- अपनी 24 वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने हरयाणा राज्य के लयि सहायक महाधवकता, उप महाधवकता और वरषिठ उप महाधवकता के रूप में भी कार्य कया।

महाधवकता

- भारत के संवधान के भाग VI (राज्य) में अध्याय 2 (कार्यपालक) का अनुच्छेद 165 राज्यों के लयि महाधवकता के कार्यालय का प्रावधान करता है।
- उसकी नयुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जसि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नयुक्त होने के लयि योग्य होना चाहयि।
- महाधवकता अपने आधिकारक कर्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर कसि भी न्यायालय के समकष उपस्थति होने का अधिकारी है।
- महाधवकता को राज्य वधानमंडल के दोनों सदनो की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।